न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट),

सन्त कबीर नगर।

(UPSK010017242026)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–175/2026

अखिलेश कुमार–––बनाम ––– सरफुद्दीन आदि

अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस

थाना–खलीलाबाद, जनपद–संत कबीर नगर

दिनांक–19.06.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.प्रस्तुत कर संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाती का चमार है। प्रार्थी का अवयस्क पुत्र आदर्श उम्र करीब 10 साल दिनांक .03.05.2026 को सांय 4 बजे करीब अपने घर के सामने खड़ा था, उसी दौरान प्रार्थी का पड़ोसी शाहिद पुत्र सरफुद्दीन ने गेंद से वादी के अवस्यक पुत्र आदर्श के पेट में मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना देखकर वादी की पत्नी फूलमती दौड़कर आयी और आदर्श को संभाली, कुछ देर बाद पड़ोसी सरफुद्दीन के घर पर घटना की शिकायत करके चली आयी। घटना की शिकायत को बुरा मानते हुए कुछ देर बाद सरफुद्दीन, शाहिद , शकीला, गंजी तथा तसौवर एक राय गोलबन्द होकर लाठी–डण्डा तथा मुर्गा काटने वाला चाकू लेकर जान से मारने के लिये दौड़ा लिये। वादी की पत्नी जान बचाकर घर में घुस गयी तो मुल्जिमान उपरोक्त जबरदस्ती घर में घुस गये और वादी की पत्नी को पटक दिये तथा मादरचोद, बहनचोद की भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए मारने–पीटने लगे, जिससे पत्नी अर्धनग्न हो गयी। मुल्जिमान ने जोर–जोर से गाली देते हुये कहे कि साली चमाइन की जाती मेरे लड़के की शिकायत करोगी तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसी दौरान प्रार्थी भी आ गया और साथ में प्रार्थी का लड़का आनन्द भी आया और बीच–बचाव करने लगे तो मुल्जिमान ने कहे कि साले चमार की जाति हम लोग कुछ भी करेंगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगें। इससे बाद शाहिद ने वादी के हाथ पर लाठी से जोरदार का प्रहार कर दिया जबकि मुल्जिमान गंजी ने वादी के नाबालिग बच्चे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे आनन्द के हाथ में पड़ा लोहे का राड टेढ़ा हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर गुहार पर गाँव के तमाम लोग घटना स्थल पर जूट गये, घटना देखे, बीच बचाव किये तब जाकर किसी तरह से प्रार्थी की व परिवार के लोगों की जान बची। प्रार्थी ने घटना की सूचना डायल 112 नंबर पर पुलिस को दिया । पुलिस आयी लेकिन कोइ कार्यवाही नहीं की और कही कि थाना पर जाकर दरख्वास्त दे दो। प्रार्थी ने तत्काल कोतवाली खलीलाबाद पर जाकर प्रार्थना पत्र दिया जहां पर उसे जेल चौकी पर भेज दिया गया, जेल चौकी की पुलिस ने दिनांक 04.05.2026 को जबरदस्ती मामले का पटाछेप कराते हुए शांति भंग में चालान कर दिया। पुलिस द्वारा चोटों का मुआयना कराये जाने से उसने अपना व बच्चों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। हालत में सुधार होने पर दिनांक 25.05.2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र जरिये डाक से रजिस्ट्री

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.06.19 14:11:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द्वारा किया लेकिन फिर भी कोइ कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा याचना की गयी है कि प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद को प्रार्थना पत्र के प्रकाश में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया जाये।

5– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, चोटहिल आनंद की फोटो, चाकू की फोटो, फूलमती, आदर्श का चिकित्सीय पर्चा, पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

6– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या आहुत की गयी। थाने द्वारा प्रार्थना पत्र पर यह आख्या प्रस्तुत की गयी है कि आवेदक व विपक्षी आदि एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों पक्षों के एक ही मुहल्ले में मकान बना हुआ है। दिनांक 03.05.2026 को समय 11:00 बजे आवेदक का लड़का आनंद तथा विपक्षी का लड़का साहिन व गांव मुहल्ले के अन्य बच्चे एक साथ खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने के दौरान क्रिकेट की बॉल आवेदक के लड़के की कमर में लग गयी जिस पर वह रोने लगा व दोनों बच्चों में विवाद हो गया । पूछताछ को लेकर दोनों बच्चों के परिवार के लोग आपस में विवाद कर दिये। लोगों द्वारा समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया गया। किसी प्रकार की मारपीट या गाली गलौज नहीं हुयी है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

7– मेरे द्वारा पत्रावली व थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण पर जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये गाली गलौच करने, मारने पीटने तथा गुहार पर अगल बगल के तमाम लोगों के आ जाने व घटना देखने का कथन किया गया है। थाने की आख्या से विदित होता है कि शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से दिनांक 12.05.2026 को दोनों पक्षो का चालान अन्तर्गत धारा 126,135 BNSS में किया गया है।

8– प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से विदित होता है कि उसको घटना के समस्त तथ्य एवं गवाहन के बारें में जानकारी हैं। वह अपने मामले को साबित करने के लिये साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण इस प्रकार का नहीं है जिसमे किसी साक्ष्य संकलन हेतु विवेचना की कोई आवश्यकता हो। प्रस्तुत मामले में पुलिस से विवेचना कराये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपील संख्या–781/2012 निर्णय दिनांकित 29.03.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) Scc739) में प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा जाँच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

9– प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) BNSS परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–223 BNSS दिनांक–20.07.2026 को पेश हो।

19.06.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।